

पत्रांक २९०१

आयु०क०उत्तरा०/वैट-अनुभाग/वाणिज्य कर/देहरादून/2008-09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(वैट-अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून :: नवम्बर '०८
०१-११८०८

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

परिपत्र संख्या-न्याय-२-वापसी- ९१ -९२ / ३६८१/ बिक्रीकर, दिनांक २९-१०-१९९१ द्वारा वापसी के सम्बन्ध में निम्न प्रकार मौद्रिक सीमा निर्धारित की गयी थी :-

बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी-२	रु० ५,०००/- (इससे अधिक, बिक्रीकर अधिकारी के अनुमोदन से)
बिक्रीकर अधिकारी।	रु० २५,०००/- (इससे अधिक उपायुक्त (शा०) के अनुमोदन से)
सहायक आयुक्त (क०नि०)	किसी भी सीमा तक।

उक्त परिपत्र द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त धनराशि से अधिक वापसी निहित होने की दशा में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी, (सहायक आयुक्त (क०नि०) को छोड़कर) आदेश का आलेख अनुमोदन हेतु क्रमानुसार बिक्रीकर अधिकारी तथा उपायुक्त (शा०) बिक्रीकर को प्रेषित करेंगे।

वर्तमान में वैट प्रणाली के अन्तर्गत वाणिज्य कर, अधिकारी के लिए कर निर्धारण हेतु सकल विक्रयधन के आधार पर मौद्रिक सीमा रु० १५,००,०००/- कर दी गई है। वैट व्यवस्था में वापसी का कारण व प्रक्रिया व्यापार कर प्रणाली से भिन्न है। वैट अधिनियम के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार रिफण्ड वाउचर कर निर्धारण आदेश के साथ ही प्रेषित किये जाने हैं एवं रु० २५,०००/- से अधिक का रिफण्ड वाउचर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना है। अतः वापसी के सम्बन्ध में मौद्रिक सीमा की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त वापसी हेतु मौद्रिक सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती ह :-

वाणिज्य कर अधिकारी :	रु० १५,०००/- (इससे अधिक असिस्टेन्ट कमिश्नर के अनुमोदन से)
असिस्टेन्ट कमिश्नर :	किसी भी सीमा तक।
डिप्टी कमिश्नर :	किसी भी सीमा तक।

(एल.एम.पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

-2-

143

२९०२,

पूर्णसं० दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3— अध्यक्ष / सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
- 4— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 5— एडिशनल कमिशनर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार * / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन / उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिशनर (विंशुनु०शा० / प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य०० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 11— सख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12— नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 13— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—१५ / ५ राजनगर गाजियाबाद।
- 14— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 15— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 16— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर, १२/२००९

उत्तराखण्ड, देहरादून।